

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 703]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 सितम्बर 2025 — भाद्र 12, शक 1947

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2025

अधिसूचना

File No.RULE/408/2025-EXCISE (59).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, “छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996” में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियम में:—

नियम 8(1) के उपखण्ड (ग-2) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 8(1) के उपखण्ड (ग-2) प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्—

“(ग-2) एफ.एल.3-ख (विशेष रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति)” :- एफ.एल.3-ख का अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे ब्राण्डेड रेस्टोरेंट/बार संस्थाएं जिनका व्यवसाय देश के कम से कम पांच राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में यथानाम एवं विशिष्टता के साथ आउटलेट्स (Outlets) संचालित हो, ऐसे प्रतिष्ठानों के रेस्टोरेंट में आगन्तुकों या ग्राहकों को उनके स्वयं के उपभोग हेतु अनुज्ञप्त परिसर में भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा। यह अनुज्ञप्ति ऐसे मापदण्ड तथा भोजन की सुविधायुक्त ऐसे ब्राण्डेड रेस्टोरेंट/बार प्रतिष्ठानों के रेस्टोरेंटों को दी जायेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

2. इस अधिसूचना को 01 अप्रैल, 2025 से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.